



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, बन्दलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23353503, फ़ैक्स : 23753923

याचिका सं. 221/टीएल/2022

दिनांक : 25.10.2022

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावर ग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-9, कुतुब इस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव (बीओओएस) आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर "फ़ेस II (भाग ख) के अधीन राजस्थान (8.1 जीडब्ल्यू) में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढीकरण योजना" की स्थापना हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी
1.	फतेहगढ़-11 पीएस-भादला-11 पीएस 765 केवी डी/सी लाईन (द्वितीय)	18 मास
2.	फतेहगढ़-11 पीएस-भादला-11 पीएस 765 केवी डी/सी लाईन (द्वितीय) के लिए फतेहगढ़-11 और भादला-11 प्रत्येक पर 765 केवी लाईन बे के 2 नंबर	
3.	फतेहगढ़-11-भादला-11 765 केवी डी/सी लाईन (द्वितीय) के प्रत्येक छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 1x240 एमवीएआर स्विचबल लाईन रिक्टर 240 एमवीएआर, 765 केवी रिक्टर-4 (फतेहगढ़-11 और भादला-11 प्रत्येक पर 2 रिक्टर) 765 केवी रिक्टर-4 के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट (फतेहगढ़-11 और भादला-11 प्रत्येक पर 2 स्विचिंग इक्विपमेंट) [फतेहगढ़-11-भादला-11 765 केवी डी/सी लाईन (द्वितीय) के लिए फतेहगढ़-11 और भादला-11 पर प्रत्येक 1x80 एमवीएआर स्पेयर* रिक्टर को स्पेयर के रूप में उपयोग किया जाएगा] * वर्तमान परिधि के अधीन नहीं	

नोट :

- पावरग्रिड, फतेहगढ़-11 और भादला-11 सबस्टेशन प्रत्येक पर 765 केवी बे की 2 नंबर संख्या के लिए स्थान प्रदान करेगा और फतेहगढ़-11 और भादला-11 सबस्टेशन प्रत्येक पर स्विचबल लाईन रिक्टर के 2 नंबर संख्या के लिए स्थान प्रदान करेगा।
- टीएसपी, प्रत्येक योजना (भाग-ख, भाग-ग और भाग-3) के अधीन भादला 11 पीएस पर 765 केवी लाईन रिक्टर बैक और स्विचिंग व्यवस्था के लिए आवश्यक सभी संबद्ध इक्विपमेंट अर्थात् आइसोलेटर्स, सर्किट ब्रेकर्स, 765 केवी एवं 145 केवी (न्यूट्रल) आनुषंगिक बसेस इत्यादि को संस्थापित करेगा ताकि स्पेयर 1-पीएच यूनिट, भविष्य में जहां कहीं प्रदान किया गया हो, किसी भी खराब यूनिट को बिना किसी भौतिक गमनागमन के प्रतिस्थापित करने में समर्थ हो। संबंधित टीएसपी, भादला 11 पीएस पर इक्विपमेंट/सुविधाएं इस प्रकार प्रदान करेगा कि भविष्य में स्विचिंग व्यवस्था को पूरा करने के लिए रिक्टर के 1x80 एमवीएआर स्पेयर यूनिट की केवल आपूर्ति एवं संस्थापन, संबद्ध एलए, 1-पीएच सर्किट ब्रेकर और 765 केवी एवं 145 केवी बसेस के एक्सटेंशन की आवश्यकता होगी।
- आवेदक का ध्यान, अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर रु. 728.93 मिलियन के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रसारों सहित सेवा प्रदायक के रूप में किया गया है।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 26.8.2022 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 221/टीएल/2022 में दिनांक 22.10.2022 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोलिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने को प्रस्तावित किया है।
- पावर ग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 11.11.2022 तक अव्योहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 22.11.2022 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

(हरवीर सिंह प्रुथी)
सचिव